



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052025-263229
CG-DL-E-20052025-263229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2181]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947

No. 2181]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2025

सं. 07/ 2025-26

विषय: बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबंध – आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची I (आयात नीति) के तहत 'आयात नीति के संबंध में सामान्य नोट्स' के अंतर्गत एक नया पैरा 19 सम्मिलित करने के संबंध में।

का.आ. 2235 (अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची 1 (आयात नीति) के तहत आयात नीति के संबंध में सामान्य नोट्स में एक नया पैरा 19 तत्काल प्रभाव से शामिल करती है।

“19. बांग्लादेश से भारत में निम्नलिखित वस्तुओं के आयात को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा

1. बांग्लादेश से वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबंध

क्रम सं.	मद विवरण	आयात नीति/पत्तन प्रतिबंध
(i)	रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) के सभी एचएस कोड	बांग्लादेश से आयात किसी भी भूमि पत्तन से नहीं किया जा सकेगा, तथापि, इसकी अनुमति केवल न्हावा शेवा और कोलकाता समुद्री पत्तनों के माध्यम से ही होगी।
(ii)	फल/फल के फ्लेवर्ड वाले और कार्बोनेटेड पेय	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किसी भी भूमि सीमा शुल्क रेतेशन(एलसीएस)/एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) और एलसीएसचंग्रबांधा और फुलबारी, पश्चिम बंगाल के माध्यम से बांग्लादेश से आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(iii)	प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (बेकड वस्तुपार, स्नैक्स, चिप्स और कन्फेक्शनरी)	
(iv)	कपास एवं कपास के धागे के अपशिष्ट।	
(v)	प्लास्टिक और पीवीसी तैयार माल, सिवाय पिग्मेंट, डाई, प्लास्टिसाइजर और ग्रेन्यूदल्स के जो हमारे उद्योगों के लिए इनपुट के रूप में काम आते हैं।	
(vi)	लकड़ी का फर्नीचर	

2. पैरा 1 में उल्लिखित उपरोक्त प्रतिबंध बांग्लादेश से भारत में मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और संदलित पत्थर के आयात पर लागू नहीं होंगे।

3. पैरा 1 में उल्लिखित उपरोक्त प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल/भूटान को किए जाने वाले बांग्लादेशी निर्यात पर भी लागू नहीं होंगे।

अधिसूचना का प्रभाव:

बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात को विनियमित करने हेतु आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची 1 (आयात नीति) के तहत ‘आयात नीति के संबंध में सामान्य नोट्स’ में एक नया पैरा 19 तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 1/93/180/31/एएम-12/पी.सी.।।(बी) / पार्ट.1 / ई-34473]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

No. 07 /2025-26

New Delhi, Dated: 17 May, 2025

Subject: Port restriction on import of certain goods from Bangladesh to India - Insertion of a new Para 19 under 'General Notes Regarding Import Policy'under ITC (HS), 2022 Schedule 1 (Import Policy)

S.O. 2235 (E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby introduces a new Para 19 to General Notes Regarding Import Policy under ITC (HS), 2022 Schedule 1 (Import Policy) with immediate effect.

“19. The import of following goods from Bangladesh to India shall be regulated as under:

1. Port Restrictions on import of Goods from Bangladesh

Sl. No.	Item Description	Import Policy /Port restriction
(i)	All HS codes of Ready Made Garments (RMG)	Import from Bangladesh shall not be allowed from any land port, however, it is allowed only through Nhava Sheva and Kolkata seaports.
(ii)	Fruit/ Fruit flavoured and Carbonated Drinks	Imports from Bangladesh shall not be allowed through any Land Customs Stations (LCSs)/Integrated Check Posts (ICPs)in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram; and LCS Changrabandha and Fulbari, in West Bengal.
(iii)	Processed food items (Baked goods, Snacks, Chips and Confectionery)	
(iv)	Cotton and Cotton Yarn Waste.	
(v)	Plastic and PVC finished goods, except pigments, dyes, plasticisers and granules that form input for own industries.	
(vi)	Wooden Furniture	

2. The above restrictions at Para 1 shall not apply to import of Fish, LPG, Edible Oil, and Crushed stone to India from Bangladesh

3. The above restrictions at Para 1 shall also not apply to Bangladesh exports to Nepal/Bhutan transiting through India.

Effect of the Notification:

A new Para 19 is introduced in ‘General Notes Regarding Import Policy’ under ITC (HS), 2022 Schedule 1 (Import Policy) regulating the Import of certain goods from Bangladesh to India, with immediate effect.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/31/AM-12/P.C.II(B)/E-34473]
AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.